

## प्रेसनोट दिनांक 18.07.2021

1. दिनांक 17.07.21 को वादी श्री जगदीश मांझी पुत्र जुगुल किशोर मांझी नि० कन्धरपुर थाना रा०ज०भू० अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि गिल्लू पुत्र बैजनाथ नि० कन्धरपुर थाना रा०ज०भू० अयोध्या अभि० द्वारा वादी व वादी के परिजन को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना जिसके संबंध में थाना रा०ज०भू० में मु०अ०सं० 52/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 17.07.21 को वादी उ०नि० श्री सुनील सिंह यादव थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अवधेश कुमार पाण्डेय पुत्र स्व० राममिलन पाण्डेय नि० बेलवारी खान थाना गोसाईगंज अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु०अ०सं० 203/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 17.07.21 को वादी श्री रामप्रताप सिंह पुत्र स्व० हौसिला सिंह नि० शाहपारा थाना को०बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन सं० यू०पी 32 एचएन 2956 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी को टक्कर मार देना जिससे गम्भीर चोटें आना जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 343/21 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 17.07.21 को वादी श्री अरशद पुत्र शौकत अली नि० मेहदौना थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि निसार पुत्र कयूम नि० मेहदौना थाना इनायतनगर अयोध्या आदि 04 नफर अभि०गणों द्वारा गाली व जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 379/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 17.07.21 को वादी का० संदीप यादव थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि इंदल पुत्र रामबक्श नि० कलन्दरपुर थाना खण्डासा अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 191/22 धारा 60(1) आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।